उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1250 /एक–9–2022–रा–9
लखनऊ : दिनांक: 26 जुलाई, 2022

सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के पत्र संख्या–1217/एक–9–2022–रा–9, दिनांक 21.07.2022 के कम में अपने पत्र संख्या–437–12/5/2022, दिनांक 22.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजस्व विभाग को उपलब्ध करायी जाने वाली सूची में लाभार्थी के नाम के साथ पिता का नाम उपलब्ध कराने का उल्लेख किया है किन्तु पंजीकृत कृषि भूमि का डाटा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

2– उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 25.07.2022 द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेखीय सत्यापन हेतु पंजीकृत कृषि भूमि का डाटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 25.07.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेखीय सत्यापन हेतु पंजीकृत कृषि भूमि का डाटा उपलब्ध कराते हुए पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक:–यथोक्त।

26/7/22
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1250(1)/एक–9–2022–रा–9
लखनऊ : दिनांकः 26 जुलाई, 2022

सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के पत्र संख्या–1217/एक–9–2022–रा–9, दिनांक 21.07.2022 के कम में अपने पत्र संख्या–437–12/5/2022, दिनांक 22.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि लेखपालों को प्रत्येक लाभार्थी पर भूलेख अंकन करने हेतु प्रति लाभार्थी/इन्ट्री रू0–2/– प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किये जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 25.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत फील्ड सर्वे फील्ड वेरिफिकेशन स्टेशनरी व्यय आदि के लिये 10 रूपये प्रति लाभार्थी इन्सेन्टिव/प्रशासनिक बजट कि व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.07.2022 के द्वारा लेखपालों को प्रत्येक लाभार्थी के भूलेख अंकन करने हेतु प्रति लाभार्थी/इन्ट्री रू0 2/– प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया है, जो कि अस्पष्ट एवं बहुत ही कम है।

उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा उक्त योजना के आरंभ दिनांक 01.02.2019 से अद्यतन पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रावधानित 10 रू0 प्रति लाभार्थी की दर से फील्ड सर्वे/फील्ड वेरिफिकेशन/भूलेख डाटा सत्यापन आदि कार्य हेतु लेखपालों को भुगतान करने का स्पष्ट आदेश समस्त जनपदों को निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 25.07.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत फील्ड सर्वे/फील्ड वेरिफिकेशन हेतु लेखपालों को इन्सेंटिव/मानदेय का भुगतान कराये जाने हेतु प्रस्तर–2 में किये गये अनुरोध के कम में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1217/एक–9–2022–रा–9
लखनऊ : दिनांकः 21 जुलाई, 2022

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

---

किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने विषयक उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 18.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान सम्मान निधि पोर्टल पर पूर्व में लेखपालों, जनसेवा केन्द्रो अथवा कृषि विभाग कार्यालय द्वारा किए गये थे, जिनमें किसानों के नाम, पिता का नाम, कृषि भूमि का खसरा नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि फीड किया गया है। किसानों का उपरोक्त विवरण कृषि विभाग के पास उपलब्ध है। सत्यापन के लिए उक्त विवरण वाली सूची जिसमें लाभार्थी का नाम व लाभार्थी के पिता का नाम और भूमि का खसरा नम्बर अवश्य अंकित हो, लेखपालों को उपलब्ध करायी जाए। जिसका सत्यापन लेखपाल द्वारा कर दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में लेखपालों द्वारा अधूरी सूचना और विवरण से सूची का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि भारत सरकार उक्त कार्य हेतु प्रावधानित इंसेंटिव/प्रशासनिक बजट से लेखपालों को इंसेंटिव का भुगतान भी कराने की कृपा करें।

3– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 18.07.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

21/7/22
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव (कृषि)
उ0प्र0शासन,
लखनऊ

पत्रांक— /पी0एम किसान/2022—23/ दिनांक 15 जुलाई, 2022

महोदय,

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या—42/2022/14—भ0स/12.05.22 सा0—1/2019 /दिनांक 30 जून 2022 के कम में यह निर्देशित कि दिनांक 31 जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी कृषक की भूमि का सत्यापन आवश्यक रूप से पी0एम0 पोर्टल पर करा लिया जाये, उपरोक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक—1019/पीएम किसान /2022—23/ दिनांक 12.07.2020 के द्वारा कृषको का डाटा भू—लेख अंकन हेतु राजस्व विभाग का कृषको का विवरण भरने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम मे राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सूची उपलब्ध करा दी गयी है।

जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा बरहज के अध्यक्ष एव मंत्री के स्तर से दिनांक 16.07.2022 को उप जिलाधिकारी, देवरिया को सम्बोधित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अधिकांश कृषको के पिता का नाम ,मोबाईल न0, खसरा सं0 एवं आधार न0 उपलब्ध नही है जिससे एक ही नाम के कई कृषक होने पर इन कृषको को खोजने में समस्या आ रही है।

उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि पी0एम0 किसान पोर्टल पर कृषको के उपलब्ध डाटा में उनके पिता का नाम ,मोबाईल न0, खसरा सं0 एवं आधार न0 उपलब्ध करवाने की कृपा करे, जिससे कृषको का भूलेख अंकन का कार्य निर्धारित समय में कराया जा सके।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
देवरिया

पत्रांक— 1108 /पी0एम0 किसान/2022—23 दिनांक जुलाई 2022

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया
2. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद—देवरिया।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

उप कृषि निदेशक
देवरिया.

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1217/एक–9–2022–रा–9
लखनऊ : दिनांक: 21 जुलाई, 2022

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने विषयक उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 18.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान सम्मान निधि पोर्टल पर पूर्व में लेखपालों, जनसेवा केन्द्रो अथवा कृषि विभाग कार्यालय द्वारा किए गये थे, जिनमें किसानों के नाम, पिता का नाम, कृषि भूमि का खसरा नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि फीड किया गया है। किसानों का उपरोक्त विवरण कृषि विभाग के पास उपलब्ध है। सत्यापन के लिए उक्त विवरण वाली सूची जिसमें लाभार्थी का नाम व लाभार्थी के पिता का नाम और भूमि का खसरा नम्बर अवश्य अंकित हो, लेखपालों को उपलब्ध करायी जाए। जिसका सत्यापन लेखपाल द्वारा कर दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में लेखपालों द्वारा अधूरी सूचना और विवरण से सूची का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि भारत सरकार उक्त कार्य हेतु प्रावधानित इंसेंटिव/प्रशासनिक बजट से लेखपालों को इंसेंटिव का भुगतान भी कराने की कृपा करें।

3– इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्र दिनांक 18.07.2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया किसान सम्मान निधि योजना में बिना पिता के नाम एवं बिना कृषि भूमि विवरण वाली सूची के आधार पर तीसरी बार पूरा का पूरा सर्वे/सत्यापन लेखपाल से कराये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:–यथोक्त।

21/7/22
(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या : 437-12/5/2022

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्री महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
राजस्व अनुभाग–9,
उ0प्र0शासन।

कृषि विभाग

लखनऊ, दिनॉंक 22 जुलाई, 2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1217/एक–9–2022–रा–9, दिनॉंक 21 जुलाई 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस विषय में आपके पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर वर्णित कठिनाईयों के दृष्टिगत निम्न प्रगति से अवगत कराना है:–

I- पी0एम0 किसान पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों के विवरण में जिन कृषकों के पिता का नाम उपलब्ध नही है उसके सम्बन्ध में जनपद के उप कृषि निदेशकों को भारत सरकार के स्तर से उपलब्ध कराये गये अर्द्ध प्रदर्शित आधार नं0 से पारदर्शी किसान योजना के पोर्टल एवं सोशल ऑडिट के समय तैयार की गयी सूची से मिलान कर पिता का नाम अंकित करते हुये सूची को समस्त तहसीलों को पुनः उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय के पत्रांक–57/पी0एम0 किसान/कैम्प/मू0सं0/दिनांक 22–07–2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

II- तहसीलों को उपलब्ध करायी गयी सूची में प्रत्येक लाभार्थी के सम्मुख राजस्व अभिलेखों में भू अभिलेख विवरण को अंकित किया जाना है, जिसकी प्रति तहसीलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

III- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अनुश्रवण/प्रशासनिक मद में व्यय करने हेतु शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा लेखपालों को प्रत्येक लाभार्थी के भूलेख अंकन करने हेतु प्रति लाभार्थी/इन्ट्री रू0 2/– प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किये जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. कृपया उपरोक्त कार्य की महत्ता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत समयबद्ध रूप से कार्य को किये जाने हेतु समस्त राजस्व कार्मिकों/जिला प्रशासन का सहयोग आवश्यक है, अतएव वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत कृपया आप अपने स्तर से भी उपरोक्त कार्य के निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु तहसील/जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव

Scanned by CamScanner

प्रेषक, ई-मेल

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग-9 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 631/9-78-2020(स्वा०यो०) दिनांक 19 जुलाई, 2022

विषय: स्वामित्व योजना समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद पत्र संख्या 2146/9-36/2020(भू०ना०) दिनांक 11-11-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु (एस०ओ०पी०) दिनांक 09-11-2020 संलग्नकर इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था कि स्वामित्व योजना के संचालन में राजस्व विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाय।

परिषद के संज्ञान में यह आया है कि उक्त परिषदादेश दिनांक 11-11-2020 में दिये गये निर्देशों का जनपदों द्वारा पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है और घरौनी बनाने का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु राजस्व विभाग के कार्मिकों को अन्य विभाग यथा पंचायती राज आदि के कार्मिकों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है।

आप अवगत है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कुल अवशेष ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अक्टूबर 2022 एवं घरौनी तैयार किये जाने हेतु अक्टूबर 2023 की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद अपनी आवश्यकतानुसार अन्य सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

19/7/2022

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग—14, लखनऊ।

2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner